बिहार विधान मंडल पुस्तकालय
शोध/संदर्भ ग्रंथ

खण्ड : 6

संख्या : 21

एकादश बिहार विधान-सभा वादवृत्त

(षष्ठम् सत्र)

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

मंगलवार, दिनांक : 23 जुलाई 1996 ई०

श्री रफीक आलम : अध्यक्ष महोदय सईद मुअज्जम को छुड़वाया जाए।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : माननीय सदस्य ने अंजली खातून लड़की वाली बात कही कि तीन दिनों तक उस लड़की को थाने में रखा गया और अब एक रिटायर्ड बेलगाम हो रहा है। तो वह थोनदार रहेगा या जनतंत्र चलेगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि एसे थानेदार को हटाइये, सस्पेंड कीजिए। जबाव मंगाकर दे दीजिए। अभी अध्यक्ष महोदय, आपने सुना कि माननीय सदस्य श्री रफीक आलम साहब कितने चॉक्ड भोआइस से कह रहे थे। यह गंभीर बात है। गबर्नमेंट को इसको देखना चाहिए।

विधायी कार्य : अध्यादेश अस्वकृति सम्बन्धी संकल्प

बिहार कराधान विधि संशोधन एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 1996 (स्वीकृत)

बिहार कराधान विधि संशोधन एवं विधिमान्यकरण (अध्यादेश), 1996 विधेयक संशोधन में कई माननीय सदस्यों ने अस्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । इसमें हैं माननीय सदस्य श्री अम्बिका प्रसाद, स० वि० स० एवं श्रीमती चन्द्रमुखी देवी, स० वि० स० । क्या माननीय सदस्य श्री अम्बिका प्रसाद, स० वि० स० अस्वीकृति का प्रस्ताव मूभ करेंगे या वापस लेंगे ?

श्री अम्बिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि 'बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 को अस्वकृत करता हूं । अध्यक्ष महोदय, आप इस विधेयक को देखा होगा । वर्ष 1993 और 1996 के बीच इन्होंने जो भी कर

वसूली की, उस वसूली का आज वर्ष 1996 में स्वीकृति लेना चाहते हैं, उस विधेयक को भैलिडिटी करार देना चाहते हैं। मेरी समझ से इससे ज्यादा बड़ा कोई विधेयक नहीं है। मैं मानता हूं कि सदन को स्वीकृति नहीं देनी चाहिए।

पिछले दिनों हाईकोर्ट ने इसको इल्लिगल करार किया था। जो वसूल किया गया था, उसको हाईकोर्ट ने इल्लिगल करार कर दिया उसके बाद इसको कुछ संशोधन करके ऑर्डिनेंस करके इसको लिगलाईज करने की कोशिश किया गया है, इसको पास करिएगा तो हाईकोर्ट में जाएगा और यह वहां इलिगल हो जाएगा। इसलिए ऐसी स्थिति क्यों पैदा की जाए? हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि इसको वापस कर लीजिए अन्यथा इसको रिजेक्ट कर दीजिए।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक दूसरा प्वाइंट ही रेज कर दिया है। प्रस्ताव में आपके अध्यादेश को अस्वीकृत करने के लिए कहा है। जब अध्यादेश अस्वीकृत हो जाएगा तो बिल ही नहीं आयेगा, इसलिए इस प्रस्ताव पर वोट कराया जाए।

अध्यक्ष : पहले मंत्री महोदय की बात सुनिए न।

श्री उपेन्द्र प्र० वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अंबिका प्रसाद जी ने जो उठाया है, मे. ओम कैरिंग कारपोरेशन बनाम बिहार राज्य में रांची बेंच में एक रिट संख्या 3008.93 में 2.2.96 को यह निर्णय दिया गया है, न्यायालय ने दिया है कि नियम 31 की धारा 2 (क) एवं 2 (ख) के अनुसार जो कार्रवाई की गयी, जो कर लगाया गया, एक तो भैलीड है

लेकिन चूंकि 31 की धारा (3) के अनुसार उसको एंडॉप्टेड नहीं किया गया है इसीलिए अवैध है और 50 लाख रुपए की राशि वापस करनी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन क्लाउज, एक्ट में...

श्री राजो सिंह : कैसे करिएगा आप ? अध्यक्ष महोदय, ये जबर्दस्ती बात करते हैं। अभी तो यह अध्यादेश में है, वह अध्यादेश अगर मान लीजिए...

श्री उपेन्द्र प्र. वर्मा : अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश हमने क्यों लागू किया ? रांची बेंच ने कहा कि एक महीने के अंदर राशि को लौटा दीजिए। हमलोग सुप्रीम कोर्ट गए, हमको स्टे नहीं मिला है। मेरा एस.एल.पी. वहां मंजूर है लेकिन हम यह कहना चाहते हैं हमने लॉजिकल तरीके से इस एक्ट को भैलीड माना है लेकिन एडॉप्सन नहीं हुआ है। इसी के चलते वहां, जो हमलोगों को फाईन किया गया उसको लौटाने का आदेश दिया है और इसी बात को हमलोगों ने पिछली तारीख को ही कर दिया है और हमारे कमिश्नर ने, इसमें जो कमी थी, उसके पहले ठीक कर चुके हैं और हम यह कहना चाहता हैं कि 15.6.93 और 14.2.96 के बीच जो कार्रवाई की गयी है, जो फाईन लगाया गया है, वह भैलीड है।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री अंबिका प्रसाद जी अपना प्रस्ताव वापस लेंगे?

श्री अंबिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो जाएगा तो हमलोंग सभी मान लेंगे।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि—

"बिहार राज्य कराधान विधि (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) विधेयक, 1996" स्वीकृत हो।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस पर वोट कराया जाए। अस्वीकृति के पक्ष में बहुमत है। अंबिका बाबू, जो सरकार के पक्ष में भी और विपक्ष में भी हैं। ये आधा सांप हैं और आधा शरीर इनका मनुष्य का है, इसलिए इसमें वोट होने दीजिए, इसमें वोट कराया जाय, घंटी बजवाया जाय । इसमें हमारा एक ही वोट रहेगा, लेकिन अंबिका बाबू का प्रस्ताव है इसलिए हमने चैलेंज किया है कि इस पर वोट कराया जाए। हमें बिल पर एतराज नहीं हैं, हमें सिद्धांतों से एतराज है।

श्री लालू प्रसाद : महोदय, अम्बिका बाबू यह थोड़े चाहेंगे कि राज्य का पैसा लौटा दिया जाय ट्रांसपोर्टरों को। इसलिए आप इसको वापस कर लीजिए।

श्री अम्बिका प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो इसके संबंध में कहा, माननीय मंत्री जी इसके संबंध में कहा, माननीय मंत्री जी ने मेरी बात का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं इसीलिए मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगी वह हम मान लेंगे। अभी क्यों करते हैं?

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह आर्गुमेंट नहीं है, आर्गुमेंट उनका है, जो आपने अध्यादेश किया है जिसको हाईकोर्ट ने रद्द किया, आप उसी को कानून बनाने के लिए मेरे पास सदन में लाये हैं। कानून बन जायेगा तो आपको रुपया नहीं लौटाना पड़ेगा। यह बात ठीक है, उससे

हमको मतलब नहीं है। हमको मतलब यह है कि इन्होंने अध्यादेश को अस्वीकृत करने के लिए क्यों कहा है? अध्यक्ष महोदय, अध्यादेश कैबिनेट से पास होता है और कैबिनेट पर इनका विश्वास नहीं है। इसलिए इसको क्लीयर होने दिया जाय। हमने चैलेंज किया है इसलिए भोटिंग होने दिया जाय।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री राजो सिंह, अम्बिका बाबू को छोड़ दीजिए, इसको स्वीकृत होने दीजिए।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि—

"कि यह सभा बिहार काराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 1996 को अस्वीकृत करती है।"

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

विधायी कार्य : राजकीय विधेयक : बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) विधेयक, 1996 (स्वाकृत)।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं—

"बिहार कराधान विाध (सशाधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय"।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है—

"कि बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्करण) विधेयक, 1996 को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय"।

अध्यक्ष : पुर:स्थापित करने की अनुमति दी गई।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : महोदय, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं

अध्यक्ष : यह पुरःस्थापित हुआ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

"बिहार कराधान (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 पर विचार हो"।

अध्यक्ष : इसमें जनमत जानने, प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव आया हुआ है। क्रमानुसार मैं जनमत का प्रस्ताव लेता हूं। क्या माननीय सदस्या, श्रीमती चन्द्रमुखी देवी अपना प्रस्ताव मूभ करेंगी या वापस लेंगी?

श्री चन्द्रमुखी देवी : अध्यक्ष महोदय, वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि–

"बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधि–मान्यकरण) विधेयक, 1996, तिथि 31 जुलाई, 1996 तक के लिए जनमत जानने के लिए परिचारित हो।'

अध्यक्ष महोदय, मेरी अपनी मान्यता है कि कोई भी विधेयक सदन में लाया जाता है तो उसके पहले उसको आम लोगों के बीच जाना चाहिए, जनमत संग्रह करने के लिए, 15 दिन का समय दिया जाय जिससे आम लोगों के बीच विभिन्न लोगों की विचारधारा के साथ मिलने के बाद जो विधेयक स्वीकृत हो वह सदन में आना चाहिए स्वीकृति के लिए। इसलिए इसको वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, चूंकि न्यायालय ने एक माह के अन्दर राशि लौटाने का आदेश दिया है इसलिए जनमत जानने के लिए हमलोग सहमत नहीं हैं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि–

"बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधि–मान्यकरण) विधेयक, 1996, तिथि 31 जुलाई, 1996 तक के लिए जनमत जाने के लिए परिचारित हो।" का यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रवर समिति का प्रस्ताव श्री राजो सिंह, श्रीमती चन्द्रमुखी देवी एवं श्री प्रेम कुमार स.वि.स. द्वारा दिया गया है। क्या माननीय सदस्य, श्री राजो सिंह अपना प्रस्ताव मूभ करेंगे?

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

"बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विध–मान्यकरण) विधेयक, 1996 एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर दे।"

अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल आया है, हमने कहा कि प्रवर समिति में इसको एक सप्ताह के लिए भेज दिया जाय और इसकी जो भी कमी–बेसी है, दिक्कत आपको यह हो गई है कि हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है जिससे आपने टैक्स लिया, एक महीने के अन्दर उसको लौटा दीजिए। महोदय, फिर कहीं कोई गड़बड़ी बिल में ऐसी नहीं हो जाय, जैसा कि अन्य बिलों में हो जाया करती है। इसलिए हमने कहा कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। महोदय, देखा

जाय कि बिल में अमेंडमेंट किसका है, हमारा है या सरकर का है? इसका माने यह हुआ बिल जब सर्कुलेट हुआ तब तक माननीय मंत्री को ज्ञान नहीं हुआ, बाद में हुआ, तब इन्होंने अमेंडमेंट दिया। हमलोग मेम्बर हैं, अमेंडमेंट देते हैं कि सुधार कीजिए, यहां यह सुधार कीजिए। लेकिन एक परम्परा बन गई है। कल मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मुझे अच्छा भी लगा। उन्होंने कहा कि हमलोग पुरानी लकीर पर चलते जा रहे हैं तो जरा लकीर, लाईन बदलने की कोशिश कीजिए। अगर हम कहें कि नदी में मत डुबिए चूंकि हमने इस बात को कहा है तो क्या आप नदी में डूब जाईएगा। हमारा और आपका अमेंडमेंट है। यह बताता है कि लौ डिपार्टमेंट आपका बेकार है। यह 1981 का वित्त विधेयक है उसी के एक धारा में संशोधन कर रहे हैं। धारा 60 क में प्रोविजन करके लीगलाईज कर रहे हैं। हमने जो टैक्स लिया है, उसमें हमने कहा कि अमेंडमेंट करने की जरूरत होगी तो अमेंड कर लीजिएगा, चेयरमैंन आप रहेंगे इसीलिए हमने इसको दिया है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री राजो सिंह ने प्रश्न उठाया है, हमने अमेंडमेंट दिया है, डिसक्सन के बाद, हमने एडवोकेट जनरल की राय ली और फिर बिल ला रहे हैं। हाईकोर्ट इसे क्वैश न कर दे। इसलिए जो इसमें खामियां थीं, इसको लौजिकल बनाया गया और लौजीकल बना करके हमने संशोधन का मौका दिया, व्यवसायियों को कि आप छः महीने के अन्दर अपील भी कर सकते हैं। जुडीश्यरी ने रेवेन्यू का रास्ता बंद कर दिया, हमारा बिल क्वेष हो सकता है। इसीलिए एडवोकेट जनरल की राय लेकर सरकार ने संशोधन दिया है, और अर्जेसी का मामला है, राजस्व के हित में है। इसलिए मैं राजो बाबू

से अनुरोध करता हूं कि इसको वापस करके इस बिल को पास कर दें।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय बहुमत इनका है और आप वहां आसन पर बैठे हैं, रिजेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन आप इसको विचार तो कीजिए पूरी मंत्रिमंडल बैठी हुई है, पीछे थोड़ा खाली है, आप विचार तो कीजिए। उपेन्द्र बाबू जब आप बिल ला रहे थे तो आपको ऐडवोकेट जनरल से राय लेनी चाहिए थी तब क्यों नहीं राय ली? आपकी खामियां हैं, खामियां के लिए अमेंडमेंट दिया है, आप अपनी खामी को नहीं देखते हैं, बहुमत के आधार पर बिल को पास कर देते हैं। आर्डिनेंस क्या होता है, यह भी तो एक बिल ही है। जो आर्डिनेंस होता है उसे कैबिनेट पास करती है, विधि विभाग से आता है और उसको हाईकोर्ट रद्द करती है, ऐक्ट को भी हाईकोर्ट रद्द कर देती है। श्रीबाबू को समय से ही जमींदारी उन्मूलन के बाद से आज तक।

इसलिए मैंने आपको कहा, आप नहीं मानियेगा तो हम क्या करेंगे। रिजेक्ट करा देंगे, अध्यक्ष महोदय।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : एक्ट को नहीं किये हैं। एक्ट को भैलिड माने हैं। टेकनिकल कारण से हुआ है। हमलोगों ने जेनरल क्लौजेज पर रिलाई किया है।

श्री राजो सिंह . इसलिए तो आप एमेंडमेंट किये हैं।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : एमेंडमेंट लौजिकल के लिये किये हैं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) विधेयक, 1996 एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर दे"।

यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) विधेयक, 1996" पर विचार हो।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : अब मैं खंडशः लेता हूं।

खंड 2 में 7 संशोधन हैं। क्या माननीय सदस्य श्री राजो सिंह अपना संशोधन मूव करेंगे या वापस लेंगे।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, संयोग से आप आसन पर हैं और मुख्यमंत्री भी बैठे हुए हैं। टैक्स बढ़ाने में भारत सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। महोदय, हमलोग गाड़ी जो खरीदते हैं उसमें 15 वर्ष का एक बार टैक्स ले लेते हैं। अगर उस गाड़ी को बेचे तो फिर 15 वर्ष का टैक्स लेंगे या नहीं लेकिन हमको तो जरूर देना पड़ेगा, हम विधायक को तो जरूर देना पड़ेगा। आज पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डिजल का दाम बढ़ गया, सारे चीज का दाम बढ़ गया लेकिन हमलोगों का टी.ए. बढ़ाने के संबंध में कोई बात नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री बैठे हैं, वे गछें कि हमलोगों का टी.ए. बढ़ायेंगे तो हम इसको वापस ले लेंगे।

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय महंगाई इंडेक्स के साथ यह जोड़ा जायेगा जो राजो बाबू बोल रहे हैं। लेकिन 15 साल का

जो टैक्स लेते हैं उस पर आपने कभी विचार किया है। आप सम्मानित लोग हैं, बराबर डी.टी.ओ. औफिस आने जाने में कितना तेल आपका जलता है। एक तरफ सम्मान किये और दूसरी अरफ तेल का बचत किये। इसलिए 15 साल का एक बार लेना शुरू किये।

श्री राजो सिंह : हुजूर ये आधा ही क्यों बोलते हैं। ये तो साफ-साफ बोलने के आदि रहे हैं तो ऐसा क्यों करते हैं। किसी के साथ किसी को जोड़ कर अपना भाषण देते हैं। इसमें कभी दिक्कत नहीं होती है। मुख्यमंत्री भाषाण दे रहे हैं सिंचाई पर तो शिक्षा के बारे में नहीं बोले ऐसा कोई प्रबंध नहीं है लेकिन हमने जो मौजू प्रश्न किया है उससे मतलब नहीं है लेकिन् हमलोगों का टी.ए. का जो मतलब है। हम गाड़ी से चलते हैं उसका पैसा नहीं देते हैं। भारत सरकार ने बढ़ा दिया है।

(थपथपी)

श्री लालू प्रसाद : स्वार्थ वाली बात में कितनी ताली बज रही है। इससे सभी पार्टी एक हो गये हैं। उसमें सी.पी.आई. के लोग भी एक हो जायेंगे और पास हो जायेगा तो फिर वायकाट भी कर देंगे। प्राइस इनडेक्स के साथ जो हाईसिप है इसमें हर लोगों को ज्यों-ज्यों महंगाई बढ़ रही है उसके अनुसार प्राइस इनडेक्स में इसको जोड़ा जायेगा। इस पर सराकर विचार कर रही है।

श्री राजो सिंह : बाकी अधूरा सब काम करा ही रहे हैं। मेम्बर का टी. ए. भी इस सत्र में बढ़ा दीजिये। बिल तो हमलोग पास करते ही हैं।

अध्यक्ष : ताली आप कहां पीट रहे हैं ताली तो इधर के लोग पीट रहे हैं।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक के खंड-2 की उप-धारा-8 के मद (क) की सातवीं एवं आठवीं पंक्ति में "बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधि मान्यकरण) अध्यादेश, 1993 (बिहार अध्यादेश संख्या-22, 1993) बाद में "विलोपित किया जाये।

यह संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि विधेयक के खंड-2 की प्रस्तावित उप-धारा 8 के मद (क) में निम्न कंडिका जोड़ी जाय- "यदि किसी व्यक्ति ने बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा-31 की उप धारा (2) (क) के साथ पठित धारा 68-क की उप-धारा (8) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और ऐसे उल्लंघन के कारण उन पर धारा 31 के अन्तर्गत शास्ति अधिलोपित किया जाता है तो ऐसा शासित वैध तथा विधिमान्य समझा जायेगा।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक के खंड-2 को प्रस्तावित उप-धारा 8 के मद (क) में निम्न कंडिका जोड़ी जाये-

"यदि किसी व्यक्ति ने बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा-31 की उप-धारा (2) (क) के साथ पठित धारा 60-क की उप-धारा (8) के प्रावधानों का उल्लंघन किया है और ऐसे उल्लंघन के कारण उन पर धारा 31 के अन्तर्गत शास्ति अधिलोपित किया जाता है तो ऐसा शास्ति वैध तथा विधिमान्य समझा जायेगा।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं कि :

''विधेयक के खंड 2 की प्रस्तावित उप धारा 8 के मद (ख) में शब्द ''शास्तियां'' तथा ''इस'' के बीच निम्नांकित वाक्य अन्तः स्थापित किया जाये।

''धारा-6 की उप धारा (8) के प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप की गई कार्रवाईयां समझी जायेगी और।''

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

''विधेयक के खंड-2 की प्रस्तावित उप धारा 8 के मद (ख) में शब्द ''शास्यिां'' तथा ''इस'' के बीच निम्नांकित वाक्य अन्तःस्थापित किया जाये।

''धारा-60 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप की गई कार्रवाईयां समझी जायेगी और।''

संशोधन स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य, श्री राजो सिंह, आप अपना संशोधन मुभ करेंगे या वापस लेंगे?

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, अब काहे के लिये मुभ करेंगे, आश्वासन हो गया है, मुख्यमंत्री जी और संसदीय कार्य मंत्री, सारा कैबिनेट बैठा है, तो बदलेंगे कैसे ? हमारा तीन संशोधन है, हमने तीनों संशोधन वापस ले लिया।

अध्यक्ष : ठीक है, सदन की अनुमति से माननीय सदस्य, श्री राजो सिंह का तीनों संशोधन वापस हुआ।

प्रभारी मंत्री, अब आप मुभ करें।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि–

"विधेयक के खण्ड–2 की प्रस्ताविक उप–धारा 8 के मद (घ) के बाद एक नया मद (ङ०) निम्न रूप से जोड़ा जाय–

(ङ०) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति ने अधिरोपित शारित की वापसी अथवा प्रतिभूति की विमुक्ति का आदेश प्राप्त कर लिया हो तो वह कथित प्राप्त राशि को लौटाने का दायी होगा, और प्रतिभूति के मामले में सम्बद्ध व्यक्ति के विरुद्ध प्रतिभूति प्रवर्त्तनीय होगा।

यदि किसी व्यक्ति पर धारा–31 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण शास्ति अधिरोपित किया गया है, और उस शास्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत विधिमान्य बना दिया गया है, तो वह व्यक्ति सम्बद्ध व्यक्ति के समक्ष शास्ति आदेश के पुनर्विलोकन हेतु इस आधार पर आवेदन दे सकता है कि उसके मामले में कर अपवंचन अथवा इस अधिनियम द्वारा अंगीकृतक उप धारा (1) तथा (2 क) के प्रावधानों का उल्लघंन निहित नहीं है और बिहार वित्त अधिनियम 1991 के अधीन भुगतेय कर के उपवंचन का कोई मामला नहीं बनता है। सम्बद्ध प्राधिकारी आवेदन की जांच करेंगे और एक तर्कसंगत आदेश द्वारा आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करेंगे।

ऐसा आवेदन इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से छः माह के अन्दर दखिल किया जा सकेगा।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि—

"विधेयक के खण्ड–2 की प्रस्ताविक उप–धारा 8 के मद (घ) के बाद एक नया मद (ङ०) निम्न रूप से जोड़ा जाय—

"(ङ०) किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकारी के निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी व्यक्ति ने अधिरोपित शास्ति की वापसी अथवा प्रतिभूति की विमुक्ति का ओदश प्राप्त कर लिया हो तो वह कथित प्राप्त राशि को लौटाने का दायी होगा, और प्रतिभूति के मामले में सम्बद्ध वयिक्त के विरूद्ध प्रतिभूति प्रवर्त्तनीय होगा।

यदि किसी व्यक्ति पर धारा–31 के प्रावधानों के उल्लंघन के कारण शास्ति अधिरोपित किया गया, और उस शास्ति को इस अधिनियम के अन्तर्गत विधिमान्य बना दिया गया है, तो वह व्यक्ति सम्बद्ध व्यक्ति के समक्ष शस्ति आदेश के पुनर्विलोकन हेतु इस आधार पर आवेदन दे सकता है, कि उसके मामले में कर अपवंचन अथवा इस अधिनियम द्वारा अंगीकृत उपधारा (1) तथा (2 क) के प्रावधानों का उल्लंघन निहित नहीं है, और बिहार वित्त अधिनियम 1981 के अधीन भुगतेय कर के अपवंचन का कोई मामला नहीं बनता है। सम्बद्ध प्राधिकारी आवेदन की जांच करेंगे और एक तर्कसंगत आदेश द्वारा आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करेंगे।

ऐसा आवेदन इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से छः माह के अन्दर दाखिल किया जा सकेगा।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

यह संशोधन स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :

"खंड (2) इस विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड (2) इस विधेयक का अंग बना।

खंड (3) में कोई संशोधन नहीं है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :—

"खंड (3) इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड (3) इस विधेयक का अंग बना

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :—

"खंड (1) इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड (1) इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :—

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि :—

"नाम इस विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नाम इस विधेयक का अंग बना।

स्वीकृत का प्रस्ताव

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि—

"बिहार कराधान विधि (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 स्वीकृत हो"।

सामान्य लोकहित के विषय पर विमर्श।

श्री अवनिश कुमार सिंह एवं अन्य सभासदों द्वारा प्रस्तुत "राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयी भंयकर बाढ़ एवं कई क्षेत्रों में सुखाड़ के संबंध में दी गई सूचना पर विचार-विमर्श।

(इस अवसर माननीय सदस्य श्री राजो सिंह ने सभापति के रूप में आसन ग्रहण किया)

सभापति : श्री अवनिश कुमार सिंह, स० वि० स० अनुपस्थित। श्री अश्वनी चौबे स० वि० स० अनुपस्थित। श्रीमती चन्द्रमुखी देवी स० वि० स० उपस्थित।

श्रीमती चन्द्रमुखी देवी : मैं प्रस्ताव करती हूं कि :

"राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आयी भंयकर बाढ़ एवं कई क्षेत्रों में सुखाड़" के संबंध में विचार विमर्श हो।

सभापति महोदय, प्राकृति आपदा और प्रकृति दो अलग-अलग शब्द है। माननीय सदस्यों को लग रहा होगा कि मैं हिन्दी की वर्ग लेने की तैयारी कर रही हूं। महोदय, मैं इन दोनों शब्दों में तर्क स्पष्ट करना चाहती हूं। सभापति महोदय, दोनों शब्दों का मायने सरकार के लिए एक ही है पर दोनों शब्दों में फर्क है। भूकम्प, सूखा, आगजनी भयंकर वर्षा और बाढ़ आने के बाद सरकार ने राहत कार्य करने का